FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...धिकारी एवं ... खण्डेला (सीकर) ... अधिकारी एवं ... खण्डेला (सीकर)

...य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

प्रकाश .... बनाम .... लेघु छोल्हर

प्रा०पत्र 136 LR Act ...... मुकदमा नं. ...... 45 ...... सन् 2019

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी। प्रा० पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिसल वास्ते तलबी डिगाड़ 18-10-19 को पेश हो। [signature]	
18.10.19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं० 1 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना [signature] 18.10	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि ख० नं० 116 रकबा 2.28 हे० तन ग्राम सामोता का बास तहसील खण्डेला अवस्थित में ½ हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी के नाम व ½ हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के भाई बलबीर के नाम से अंकित है। प्रार्थी का भाई कमाने खाने विदेश गया हुआ है अतः प्रार्थना पत्र केवल प्रकाश (वादी ~~प्रार्थी~~) की ओर से पेश किया गया है। वाद ग्रस्त भूमियों में प्रार्थी व उसके भाई के पिता का नाम सांवरा गलत अंकित है। जबकी सही नाम सांवलराम है अतः राजस्व रिकार्ड में सांवलराम अंकित होना चाहिए था। जो दुरुस्त फरमाया जावे। वकील प्रार्थी के कथन सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रकाश व उसके भाई के आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सांवलराम दर्ज है जमाबन्दी संवत 2076-2079 ग्राम नक्शा, बलबीर के पेन कार्ड मतदाता पहचान पत्र सावलराम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर प्रमाण पत्र 2000 प्रकाश चन्द के, रा० उ० मा० वि० मण्डा-मदनी की T.C. वर्ग/दिनांक 1-8-2007, राशन कार्ड, प्रार्थी की बैंक पास बुक में प्रार्थी व उसके भाई बलबीर के पिता का नाम सांवलराम अंकित है। अतः उक्त दस्तावेज (हस्ताक्षर) 18.10

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	के अवलोकन से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन साबित होते है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है।	
	आदेश	
	कृषि भूमि ख० न० 166 रकबा 2.28 है० तन ग्राम साबोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एवं प्रार्थी के भाई बजरंग के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में पिता का नाम "सांवरा" के स्थान पर "सावलराम" दुरुस्त किया जावे। उक्त आदेशानुसार अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होबाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.10.19 को खुले इजलास सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) 18.10.19	